



इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक : 9386

/संपदा/2023

दिनांक : 8 SEP 2023

प्रति,

Reference No :13610492

अनापत्ति पत्र
संपत्ति मॉर्गेज

श्री /श्रीमती RAVINDRA SINGH BHADORIA S/O BHAGWANT SINGH BHADORIA

निवासी - 5/5, POLICE LINE, PALASIA, INDORE INDORE

विषय :- प्राधिकारी की योजना क्रमांक 136 136 के संपत्ति क्रमांक 33B के मॉर्गेज
(Mortgage) अनुमति बाबद।


संदर्भ :- आपका आवेदन आवक क्रमांक 66912 दिनांक 08/09/2023

योजना क्रमांक 136 136 सेक्टर B के संपत्ति क्रमांक 33B कुल क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर RESIDENTIAL उपयोग हेतु प्रथम 30 वर्ष की लीज (लीज अवधि दिनांक 20/12/2013 से 19/12/2043 तक) पर श्री /श्रीमती RAVINDRA SINGH BHADORIA S/O BHAGWANT SINGH BHADORIA निवासी -5/5, POLICE LINE, PALASIA, INDORE INDORE को आवंटित/ अंतरित किया गया है। पट्टा धारक पर आवंटन, इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक हैं। संपत्ति का सम्पूर्ण अभियान एवं लीजडीड प्राधिकारी कोष में क्रमांक है।

उक्त संपत्ति पर आवश्यक ऋण प्राप्त करने के लिये प्रतिवर्ष ली जाने वाली लीज का हक कायम रखते हुए, अगर उक्त संपत्ति किसी बैंक, वित्तीय संस्था या शासन के पास गिरवी (Mortgage) रखा जाता है तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। लीजडीड में उल्लेखित समस्त शर्तें आवंटित/ अंतरित पर बंधनकारक होंगी।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर मॉर्गेज (Mortgage) अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

यह मॉर्गेज (Mortgage) अनुमति आवेदक के पत्र दिनांक 08/09/2023 के संदर्भ में दी जा रही है। उक्त संपत्ति हेतु यदि पूर्व में प्राधिकारी द्वारा मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी की गई है तो वह इस मॉर्गेज (Mortgage)/ विक्रय (Sale) एन.ओ.सी. जारी होने के दिनांक से स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।


प्रभारी अधिकारी, एकल खिडकी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
प्रभारी अधिकारी (एकल खिडकी)
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452003 (म.प्र.)

website: idaindore.org
E-mail: idaindore7@yahoo.co.in

इ.पी.वी.एक्स: 2531312 2434541 2533355

कब्जे के लिए सूचना - पत्र

क्रमांक: 8462

प्रति,

RAVINDRA SINGH BHADORIA
5/5, POLICE LINE,
PALASIA,
INDORE

दिनांक: 11 DEC 2013

संदर्भ क्रमांक: 13610492

रजिस्टर्ड ए.डी.

विषय:- योजना क्रमांक 136 सेक्टर B के भूखण्ड क्रमांक 33B के कब्जे बाबद् ।

1. योजना क्रमांक 136 सेक्टर B के भूखण्ड क्रमांक 33B जिसका अंदाजन क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर है, आपको पत्र क्रमांक 4554 दिनांक 16/07/2013 द्वारा आबंटित किया गया है । म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम 1975 के नियम 43 के अनुसार उक्त भूखण्ड का अंदाजन क्षेत्रफल 54.00 वर्गमीटर होने संबंधी एवं कब्जा दिए जाने संबंधी सूचना दी जा रही है ।
2. उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 20/12/2013 को प्रातः 10.30 बजे आप साईट ऑफिस पर आकर प्राप्त करे । कब्जा प्राप्त करते समय आपको यह सूचना पत्र मूलतः एवं आपका फोटो पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड) एवं उसकी फोटोप्रति लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सकेगा ।
3. यदि आप कब्जा लेने के लिये निश्चित समय पर उपस्थित नहीं हुए तो यह माना जावेगा कि भूखण्ड का कब्जा आपको प्राप्त हो गया है । इस प्रकार प्राधिकारी के अभियन्ता द्वारा की गई नपती अंतिम एवं सही होगी तथा इस भूखण्ड का प्रब्याजी एवं भू-भाटक (लीजरेंट) वास्तविक नपती के अनुसार देय होगा ।
4. यदि आधिपत्य के समय आबंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध होता है तो बढ़े हुए क्षेत्रफल की बढ़ी प्रब्याजी तथा भू-भाटक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होने वाली दर अनुसार देना होगा । यह राशि बढ़े हुए क्षेत्रफल के सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में आपको जमा करना होगी । यदि इस अवधि में आपके द्वारा राशि जमा नहीं कराई तो इस अवधि के बाद देय प्रीमियम तथा लीजरेंट की राशि पर विलम्ब ब्याज देना होगा ।
5. नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि कब्जा प्राप्ति के 6 माह के भीतर सक्षम स्वीकृति हेतु नगर निगम इन्दौर से नक्षा स्वीकृत कराना होगा एवं 04 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर न्यूनतम निर्माण स्वीकृत नक्षे के अनुसार कराना अनिवार्य होगा । निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की दो प्रतियाँ प्राधिकारी कार्यालय में जमा करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण होने की सूचना भी देना अनिवार्य होगा ।

पृष्ठांकन क्रमांक:

प्रतिलिपि

1. कार्यपालन यंत्री श्री एम.पी. विमल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक यंत्री श्री राजेन्द्र शर्मा की ओर सूचनार्थ प्रेषित । इस पत्र के साथ आबंटिती द्वारा दिये गये फोटो एवं नमूना हस्ताक्षर (प्रारूप-3) की मूलप्रति संलग्न प्रेषित है । मौके पर कब्जा देने के दिनांक से 7 दिन में "कब्जा रसीद" (प्रारूप-2 एवं प्रारूप-3), मूलतः एवं साईट प्लान संपदा शाखा में अनिवार्य रूप से भिजवाये ।

संपदा अधिकारी वर्ग-2,

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

दिनांक:

संपदा अधिकारी वर्ग-2,

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर
7, रेसकोर्स रोड, इंदौर-452003 (M.P.)

E-mail: idandore7@yahoo.in

Phone no: 2531312, 2434541, 2533355, 2543379

// आवंटन पत्र //

कर्मांक 4554/

दिनांक

16 JUL 2013

प्रति,

RAVINDRA SINGH BHADORIA
S.S. POLICE LINE,
PALANSA,
INDORE
PIN

विकास/अवकाश दि. 7 अक्टूबर

13610492
95378

विषय : योजना कर्मांक 136 सेक्टर B के भूखंड कर्मांक 33B का आवंटन।

संदर्भ : कार्यालय का भूखंड आरक्षण पत्र कर्मांक

विषयवर्तित भूखंड का आरक्षण आपके नाम पर किया गया था। आपके द्वारा भूखंड में प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि एवं बर्तमान February 2013 तक की निर्धारित वार्षिक किराये जमा करा दी गई है।

आपके नाम पर आरक्षित भूखंड कर्मांक 33B सेक्टर B का आवंटन शासन द्वारा बनाए गए व्ययन नियम 1975 एवं प्राधिकारी द्वारा बनाए गए व्ययन विनियम 1987 के तहत आवासीय उपयोग हेतु प्रथम 30 वर्ष की लीज पर किया जाता है। भूखंड का विवरण निम्नानुसार है -

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| भूखंड का अनुमानित क्षेत्रफल : | 54.00 | वर्ग मीटर |
| दर : | ₹ 5000.00 | प्रति वर्ग मीटर |
| कुल प्रीमियम : | ₹ 270000.00 | |

प्रथम लीज अवधि के लिए लीजरेंट

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------|----------|
| (अ) लीजरेंट प्रथम वर्ष के लिए : | ₹ 15/- | प्र.वमी. के मान से | ₹ 810.00 |
| (ब) आगामी वर्षों के लिए : | ₹ 3/- | प्र.वमी. के मान से | ₹ 162.00 |

अतः आप प्रथम वर्ष का लीजरेंट ₹ 810.00 पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर प्राधिकारी कार्यालय में जमा करें अन्यथा उक्त अवधि पश्चात् 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देय होगा एवं आगामी वर्ष का लीजरेंट भी देय हो जावेगा।

वास्ते/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

- नोट :
- 1- दो से अधिक वार्षिक किराये का भुगतान नहीं होने पर आवंटन स्वयं निरस्त हो जाएगा।
 - 2- जब तक प्रीमियम की पूर्ण राशि जमा नहीं होती एवं लीजहोल्ड सर्पारेंट नहीं होती तब तक भूखंड की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त करने की पास्ता नहीं होगी।
 - 3- इस संपत्ति का विक्रय आरक्षण दिनांक से 15 वर्ष तक नहीं किया जा सकेगा एवं जमा की राशि प्राधिकारी से विक्रय की अनुमति प्राप्त कर विक्रय ही संभव होगा।

7089478510

राधाजी ला